न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 81/2020 – निगरानी

उनवान प्रकरण

1. श्री शंकर लाल पुत्र श्री मदन लाल सुनार उम्र वयस्क निवासी बिगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. श्रीमति बानो बेगम पत्नी स्व शब्बीर हुसैन मंसुरी निवासी बिगोद, तहसील माण्डलगढ़
2. श्री असलम हुसैन पुत्र स्व. शब्बीर हुसैन मंसुरी नाबालिग, जरिये माता श्रीमति बानो बेगम पत्नी स्वः शब्बीर हुसैन मंसुरी निवासी–बिगोद, तहसील माण्डलगढ
3. श्री सद्दीक मोहम्मद पुत्र स्व. शब्बीर हुसैन मंसुरी उम्र नाबालिग, जरिये माता श्रीमति बानो बेगम पत्नी स्व. श्री शब्बीर हुसैन मंसुरी निवासी बिगोद तहसील माण्डलगढ़
4. ग्राम पंचायत बिगोद जरिये सचिव ग्राम पंचायत बिगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम
निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत बिगोद तहसील माण्डलगढ़, आदेश दिनाक 28.06.2000
संकल्प संख्या 22/ए आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी दिनांक 27.11.2000

उपस्थित –

1. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.05.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आबादी हल्का बिगोद, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा में निगराकार की रहवासी जायदाद मकान जिसमे प्रथम तल पर दो कमरे चौक, बरामदा, लेट्रीन, बाथरूम एवं द्वितीय मंजिल पर दो कमरे, चौक, एवं रसोई व बरामदा बना हुआ है, जो गैर निगराकार संख्या 1 के पति एवं गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पिता के पास जुलाई 1993 से 2000/– रूपये मासिक की दर से किराये पर चला आ रहा है। निगराकार के पिता मदन लाल पुत्र मोती

ही उत्पन्न नहीं होता। गैर निगराकार सं. 4 द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 31.10.2000 के जरिये प्रमाण पत्र जारी कर शब्बीर हुसैन के पक्ष में नल एवं बिजली कनेक्शन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र खारीज किया गया था, जो ग्राम पंचायत के तात्कालिक सरपंच द्वारा जारी किया गया था। जिससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार सं. 4 द्वारा शब्बीर हुसैन मंसुरी के पक्ष में दिनांक 27.11.2000 को जारी किया गया पट्टा / विक्रय विलेख बिना मालिकाना हक अवैध तौर फर्जीतौर जारी किया गया था, जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियमों के विपरित होकर निरस्त होने योग्य है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर गैर निगराकार संख्या 01 के पति एवं गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पिता शब्बीर हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद मंसूरी के पक्ष में आदेश दिनांक 28.06.2000 संकल्प संख्या 22/ए आबादी भूमि का विक्रय /विलेख पटटा जारी दिनांक 27.11.2000 को निरस्त फरमाया जाये।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 03 ने अपने जवाब में अंकित किया हैं कि प्रश्नगत जायदाद गैर निगराकार संख्या 01 के पति एवं गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पिता शब्बीर हुसैन मंसूरी ने निगराकार के सम्मानित परिजनों से दिनांक 05.07.1993 को खरीद लिया था तथा 50/–रू. के स्टाम्प पर दो गवाहों की उपस्थिति में विक्रय इकरार करवा लिया था। इसी आधार पर ग्राम पंचायत से पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसरण में विक्रय विलेख जारी कराया हैं।

गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 03 के उक्त कथन के आधार पर पत्रावली परीक्षण से यह जाहिर आया कि गैर निगराकार के पति व पिता शब्बीर हुसैन मंसूरी ने उक्त जायदाद निगराकार के पिता मदन लाल सुनार के परिजनों से क्रय की हैं, स्वयं मदनलाल सुनार से क्रय नहीं की गयी, जबकि जायदाद मदनलाल सुनार के नाम पर थी तथा मदनलाल सुनार एक आपराधिक प्रकरण संख्या 16/1988 से आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया और उसकी मृत्यु भी कारावास में हुयी थी और मदनलाल सुनार ने कोई पॉवर ऑफ एटॉर्नी किसी परिजन के नाम पर की गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर प्रस्तुत नही है। इससे यह जाहिर होता हैं कि गैर निगराकार के पति व पिता शब्बीर हुसैन मंसूरी ने बिना जायदाद मालिक की सहमति/लिखित सहमति

गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 03 ने अपने जवाब में अंकित किया हैं उनके पति व पिता शब्बीर हुसैन मंसूरी ने उक्त प्रश्नगत जायदाद 50/–रूपये के स्टाम्प पर विक्रय इकरार करवाया हैं। किन्तु पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि, ऐसा कोई दस्तावेज विपक्षीगण द्वारा पेश नहीं किया गया हैं। जिससे जाहिर हो सके कि उक्त विक्रय इकरारनामा किया गया हो।

निगराकार द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटे के खारिज किये जाने के संबंध में लगाये गये आक्षेपों को निराधार साबित करने हेतु, गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा कोई पुष्ट व प्रमाणिक दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नही किये गये। इसी प्रकार उक्त जायदाद से संबंधित किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश अन्य न्यायालय में जैरकार होने के संबंध में उभयपक्षकार द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता हैं प्रश्नगत पटटा पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों के विपरीत, विधि विरूद्व जारी किया गया हैं एवं इस प्रकार के विधि विरूद्व तरीके से जारी पटटे प्रारब्ध से ही शुन्य होकर खारिज होने योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत बीगोद तहसील माण्डलगढ के आदेश दिनांक 28.06.2000 संकल्प संख्या 22/ए आबादी भूमि का विक्रय /विलेख पटटा जारी दिनांक 27.11.2000 पूर्णरूपेण राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाना उचित ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत बीगोद तहसील माण्डलगढ के आदेश दिनांक 28.06.2000 संकल्प संख्या 22/ए आबादी भूमि का विक्रय /विलेख पटटा जारी दिनांक 27.11.2000 पूर्णरूपेण राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बीगोद पंचायत समिति माण्डलगढ को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा